

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 279]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 16 मई 2018—वैशाख 26, शक 1940

वाणिज्यिक कर विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 16 मई 2018

क्र. एफ-ए-3-02-2017-1-पांच (46).—मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (क्रमांक 19 सन् 2017) की धारा 4 के साथ पठित मध्यप्रदेश माल और सेवा कर नियम, 2017 के नियम 109ए तथा इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-ए-3-19-2017-1-पांच (28), दिनांक 24 जून 2017 एवं क्रमांक एफ-ए-3-21-2017-1-पांच (30), दिनांक 24 जून 2017, द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, सारणी के कॉलम (2) में उल्लिखित अधिकारियों को कॉलम (3) में उल्लिखित उनके पदनाम के साथ, कॉलम (4) में विनिर्दिष्ट क्षेत्र (क्षेत्रीय अधिकारिता) के लिए अपीलीय प्राधिकारी नियुक्त करती है. सारणी के कॉलम (2) में उल्लिखित अधिकारियों द्वारा मध्यप्रदेश माल और सेवा कर नियम, 2017 के नियम 109ए के उपनियम (1) के खण्ड (ख) में उल्लिखित अपीलीय प्राधिकारी की समस्त शक्तियों एवं प्रदत्त या अधिरोपित समस्त कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे, अर्थात्:—

सारणी

अनुक्रमांक	अधिकारी का नाम	अधिकारी का पदनाम	क्षेत्र (क्षेत्र अधिकारिता)-संयुक्त आयुक्त (अपील) के क्षेत्र में शामिल क्षेत्र
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्री मिरा कुम्हार	संयुक्त आयुक्त, राज्य कर मुख्यालय, इन्दौर.	खण्डवा संभाग, रतलाम संभाग, सागर संभाग तथा सतना संभाग.
2	श्री आनंद भार्गव	संयुक्त आयुक्त, राज्य कर (अपीलीय प्राधिकारी वाणिज्यिक कर इन्दौर संभाग-1).	भोपाल संभाग, ग्वालियर संभाग, जबलपुर संभाग तथा छिन्दवाड़ा संभाग.

(1)	(2)	(3)	(4)
3	श्रीमती इंदु जैन	संयुक्त आयुक्त, राज्य कर, मुख्यालय, इन्दौर	इन्दौर संभाग-1, इन्दौर संभाग-2, इन्दौर संभाग-3 तथा उज्जैन संभाग.

2. यह अधिसूचना दिनांक 16 मई 2018 से प्रवृत्त होगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अदिति कुमार त्रिपाठी, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 16 मई 2018

क्र. एफ-ए-3-02-2017-1-पांच.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस आशय की अधिसूचना क्रमांक एफ-ए-3-02-2017-1-पांच(46), दिनांक 16 मई 2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अदिति कुमार त्रिपाठी, उपसचिव.

Bhopal, the 16th May 2018

No. F. A-2-2017-1-V-(46).—In exercise of the powers conferred by Section 4 of the Madhya Pradesh Goods and Service Tax Act, 2017 (No. 19 of 2017) read with rule 109A of the Madhya Pradesh Goods and Services Tax rules, 2017 and this department's Notifications No. FA 3-19-2017 1-V (28), dated 24th June, 2017 and No. FA 3-21-2017-1-V (30), dated 24th June, 2017, the State Government, hereby, appoints the officers mentioned in column (2) of the Table below with their designation mentioned in column (3) thereof as Appellate Authority for the area (territorial jurisdiction) specified in column (4). The officers mentioned in column (2) of the Table shall exercise all the powers and perform all the duties conferred or imposed on the Appellate Authority mentioned in clause (b) of sub-rule (1) of rule 109A of the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Rules, 2017 namely:—

TABLE

S. No.	Name of the Officer	Designation of the Officer	Area (territorial Jurisdiction Area comprising the area of Joint Commissioner (appeals)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Shri Mirra Kumhar	Joint Commissioner of State Tax, Headquarter, Indore.	Khandwa Division, Ratlam Division, Sagar Division and Satna Division.
2	Shri Anand Bhargava	Joint Commissioner of State Tax, (Appellate Authority of Commercial Tax, Indore Division-1)	Bhopal Division, Gwalior Division, Jabalpur Division and Chhindwara Division.
3	Smt. Indu Jain	Joint Commissioner of State Tax, Headquarter, Indore.	Indore Division-1, Indore Division-2, Indore Division-3 and Ujjain Division.

2. This notification shall come into force from 16th May 2018.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
ADITI KUMAR TRIPATHI, Dy. Secy.